



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 06.04.2025

1. थाना सेक्टर-58 पुलिस द्वारा तीन वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी की 02 इको कार, एक इको कार का इंजन, बड़ी मात्रा में स्क्रेप व फर्जी नम्बर प्लेट बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 06.04.2025 को थाना सेक्टर-58 पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व इलैक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से प्राप्त गोपनीय सूचना पर तीन वाहन चोरों 1.दिनेश चौहान पुत्र रमेश चौहान 2.वसीम रिजवी पुत्र शकूर अहमद 3.आकिब पुत्र जमील अहमद को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से चोरी की 02 इको कार, 01 इको कार का इंजन, फर्जी नंबर प्लेट, वाहन के पुर्जे तथा अन्य बड़ी मात्रा में स्क्रेप व फर्जी नम्बर प्लेट बरामद हुए हैं।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि एक संगठित गिरोह का हिस्सा हैं, जो इको कारों को चुराकर उनके इंजन नंबर, चेचिस नंबर और नंबर प्लेट बदलकर फर्जी कागजात तैयार करते हैं। इन गाड़ियों को वे अच्छे दामों में बेच देते हैं या फिर कबाड़ में बेच देते हैं। अभियुक्त वसीम रिजवी ने बताया कि वह कबाड़ी का काम भी करता है और चोरी की गाड़ियों के पुर्जों को बदलने के लिए पुरानी कंडम गाड़ियों के ओरिजनल कागजात और नंबरों का इस्तेमाल करता है। अभियुक्तों ने यह भी बताया कि उन्होंने दिनांक 16.03.2025 को सेक्टर-55, नोएडा रोड से एक इको कार चुराई थी, जिसे उन्होंने फर्जी नंबर प्लेट लगाकर बेचने की फिराक में था। इसके अलावा, सेक्टर-62 के ग्रीन बेल्ट क्षेत्र से दूसरी चोरी की इको कार भी बरामद की गई, जिसमें अन्य चोरी की गाड़ियों का स्क्रेप भरा था।

अपराध करने का तरीका-- उक्त कार्यवाही में पुलिस द्वारा चोरी की गाड़ियों को ट्रेस किया तथा एक बड़े वाहन चोरी के गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जो दिल्ली-एनसीआर में इको कारों को चुराकर उनके इंजन, चेचिस नंबर और कागजात बदलकर उन्हें बेचने या कबाड़ में तब्दील करने का काम करता था। **गिरफ्तार अभियुक्त का**

विवरण--

1. दिनेश चौहान पुत्र रमेश चौहान निवासी किराये का मकान डी-ब्लॉक वृन्दावन एन्क्लेव चिपियाना बुजुर्ग थाना बिसरख जिला गौतमबुद्धनगर मूल निवासी गाँव छिदवारा थाना कोतवाली जिला सम्भल उम्र 38 वर्ष
2. वसीम रिजवी पुत्र शकूर अहमद निवासी मौहल्ला टांडा थाना बहेडी जिला बरेली उम्र 35 वर्ष

3. आकिब पुत्र जमील अहमद निवासी नारायण टोला फकीरो की मढैय्या थाना बहजोई जिला सम्भल उम्र 35 वर्ष

आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0-140/2025 धारा 303(2),317(2)317(5),3(5),318(4),338,336(3)340(2) बीएनएसएस थाना सेक्टर-58, नोएडा
2. मु0अ0सं0- 121/2025 धारा 303(3) बीएनएस थाना सेक्टर-58, नोएडा,
3. मु0अ0सं0-344/2019 धारा 411, 414, 413, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना नवाबगंज जिला फतेहगढ बनाम वसीम

बरामदगी का विवरण--

1. एक ईको कार नं. डीएल 3 सीसी 8543 (चोरी की गई सम्बन्धित मु0अ0सं0- 121/2025 धारा 303(3) बीएनएस थाना सेक्टर-58, नोएडा)
2. एक ईको कार जिस पर फर्जी नम्बर प्लेट यूपी 25 बीडब्लू-4121 (स्क्रेप भरी हुई)
3. एक कार का इंजन,
4. चार पहिया मय रिम (कार के),
5. चार गेट मय शीशा
6. एक डिग्गी का गेट,
7. एक एलपीजी कार सलैण्डर (कार का),
8. चार फर्जी नम्बर प्लेट

2. थाना सेक्टर-113 नोएडा पुलिस द्वारा वजन में घटतौली/बढ़तौली करके वास्तविक वजन से अधिक दिखाकर कंस्ट्रक्शन साईट से निर्धारित कीमत से अधिक कीमत धोखाधडी करके वसूलने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त उपकरण व 03 अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 06.04.2025 को थाना सेक्टर-113 नोएडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एफएनजी कट के पास से कंस्ट्रक्शन के सामान के वजन में घटतौली/बढ़तौली करने वाले अभियुक्तगण 1.राहुल पुत्र चरणपाल सिंह 2. सुमित कुमार पुत्र इलम सिंह 3.अनिल पुत्र श्यामलाल को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से

घटना में प्रयुक्त 01 रिमोट, 01 इलेक्ट्रॉनिक चिप, 01 डिजिटल मल्टीमीटर मय टेस्टिंग केबल, 01 पेचकस व 03 अवैध चाकू बरामदा।

अपराध करने का तरीका-- सुमित कुमार उपरोक्त द्वारा बताया गया कि वह कंस्ट्रक्शन मैटेरियल का ठेकेदार हैं, वह कंस्ट्रक्शन मैटेरियल को ट्रकों में भरकर कंस्ट्रक्शन साइटों को उपलब्ध कराता है। सुमित व अनिल काफी पुराने मित्र हैं तथा वह दोनों राहुल को पिछले करीब 02 वर्षों से जानते हैं, राहुल पूर्व में धर्मकांटा ऑपरेटर का काम करता था तब हम दोनों इसके संपर्क में आए थे। इसने हमें धर्मकांटो में घटतौली/बढ़तौली करने के लिये इलेक्ट्रानिक चिप उपलब्ध कराई थी जिसे हम राहुल के माध्यम से धर्मकांटो पर चुपचाप लगवा देते हैं, जिसे हम तीनों मिलकर धर्मकांटो में लगाकर कंस्ट्रक्शन मैटेरियल का वजन करने के दौरान रिमोट से ऑपरेट करके तौल के वास्तविक वजन से अधिक दिखाते हैं और कंस्ट्रक्शन साइट से निर्धारित कीमत से अधिक कीमत धोखाधड़ी करके वसूलते हैं और इससे हुए मुनाफे को आपस में बांट लेते हैं, राहुल उपरोक्त ने बताया कि एक चिप को तैयार कराने में 10 हजार से 20 हजार रुपयों का खर्चा आता है। सभी ने एकराय होकर बताया कि वह तीनों अपनी सुरक्षा के लिए चाकू रखते थे,

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. राहुल पुत्र चरणपाल सिंह निवासी ग्राम बहेरिया थाना अनूप शहर जनपद बुलंदशहर हालपता विनायक एनक्लेव छपरौला थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 28 वर्ष
2. सुमित कुमार पुत्र इलम सिंह निवासी ग्राम देवली ढाना थाना सिंभावली जनपद हापुड़ हालपता एफ 248 गौर तुल्यम ओमीक्रान-1 थाना बीटा-2 जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 32 वर्ष
3. अनिल पुत्र श्यामलाल निवासी म0नं0 187 सेक्टर-2 पलवल हरियाणा हालपता आई-669 गौर तुल्यम ओमीक्रान-1 थाना बीटा-2 जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 43 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0स0 162/2025 धारा 318(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-113 नोएडा गौतमबुद्धनगर ।

बरामदगी का विवरण--

1. एक रिमोट,
2. एक इलेक्ट्रानिक चिप,
3. एक डिजिटल मल्टीमीटर मय टेस्टिंग केबल,
4. एक पेचकस,
5. तीन अवैध चाकू

3. थाना सेक्टर-58 पुलिस द्वारा 02 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल व एक अवैध चाकू बरामदा

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 06.04.2025 को थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस द्वारा सेक्टर-61 से 02 वाहन चोर 1.सन्नी उर्फ आदि पुत्र संजय 2.लक्की पुत्र आकश को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से चोरी की एक मो0सा0 रजि0 नं0 डीएल 3एस एफएच-8897 व एक अवैध चाकू बरामद हुआ है।

पूछताछ का विवरण--

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि उन्होंने बरामद मो0सा0 को खोडा तिराहा से चोरी किया है, जिसके सम्बन्ध में थाना सेक्टर-58, नोएडा पर मु0अ0सं0-138/2025 धारा 303(2), 317 (2) बीएनएस पंजीकृत है और यह भी बताया कि वह आस-पास की बिल्डिंग से लोहा चोरी करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. सन्नी उर्फ आदि पुत्र संजय निवासी गांव मथाना थाना नगली मुरादाबाद हाल पता सी 128, कासना ग्रेटर नोएडा उम्र करीब 19 वर्ष
2. लक्की पुत्र आकश निवासी नुरीपारा थाना ललपुरा जिला हमीरपुर हाल पता पुराना शिव मन्दिर सर्फाबाद सेक्टर-73, नोएडा उम्र करीब 19 वर्ष

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0-226/2023 धारा 392, 411 भादवि थाना सेक्टर-113, नोएडा बनाम सन्नी
2. मु0अ0सं0-36/2025 धारा 60, 63 आबकारी अधि0 थाना सेक्टर-20, नोएडा बनाम लक्की
3. मु0अ0सं0-04/2024 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना सेक्टर-49, नोएडा बनाम लक्की
4. मु0अ0सं0-489/2024 धारा 9 आयुद्ध अधि0 थाना सेक्टर-49, नोएडा बनाम लक्की
5. मु0अ0सं0-548/2024 धारा 25, 9 आयुद्ध अधि0 थाना बिसरख बनाम लक्की
6. मु0अ0सं0-138/2025 धारा 303(2), 317 (2) बीएनएस थाना सेक्टर-58, नोएडा गौतमबुद्धनगर
7. मु0अ0सं0-139/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-58, नोएडा गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

1. एक मो0सा0 रजि0 नं0 डीएल 3एस एफएच-8897 (मु0अ0सं0-138/2025 धारा 303(2), 317 (2) बीएनएस थाना सेक्टर-58, नोएडा गौतमबुद्धनगर)
2. एक अवैध चाकू